निर्णय व इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 38/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. सुरेश चन्द
2. सुखानी पुत्रान स्व. श्री फूल्या
3. कैला देवी पुत्री स्व. श्री फूल्या

समस्त जाति बलाई, निवासी प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री राजवीर यादव आर ए एस पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी पावटा, जिला जयपुर।
2. मनीष कुमार पुत्र श्री नवल किशोर जाति चमार निवासी बडाबास, कस्बा कोटपूतली, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 137/2018 ब उनवानी सुरेश कुमार व अन्य बनाम मनीष कुमार को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:—

1. श्री दिनेश पारीक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुनील कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 15.02.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष प्रकरण संख्या 137/2018 ब उनवानी सुरेश कुमार व अन्य बनाम मनीष कुमार विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी पावटा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील कुमार शर्मा उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त वाद में आरम्भिक डिक्री कायम की जा चुकी है जिसके विरूद्व प्रार्थी ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी कम्प्युटर संख्या 2022/290 सुरेश बनाम मनीष कुमार के नाम से लम्बित है। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.02.2022 नियत है। प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद में जब तक राजस्व मण्डल से कोई निर्णय नहीं आ जाता, तब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करें, परन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि मै तो

जिला कलक्टर
जयपुर

दिनांक 17.02.2022 को ही निर्णय करूंगा। अप्रार्थी द्वारा भी यह एलानिया घोषणा की गई कि साहब से मेरी बात हो गई है। साहब के व्यक्तिगत कार्य भी मै ही देखता हूं । इसलिए मेरे पक्ष में फैसला करवा कर रहूंगा। ऐसा मुझे आश्वासन भी साहब द्वारा हो चुका है। तुम तो मुकदमें की औपचारिकता को फटाफट पूरी करवाओं फिर मै तुम्हारे पक्ष में फैसला कर दूंगा। अप्रार्थी एक भू–माफिया से वास्ता रखता है व संख्या बल बहुबल एवं धनबल युक्त है और उसके द्वारा ऐसी एलानियां घोषणा से प्रार्थी को यह आभास हो गया है कि मुझे न्याय प्राप्त नहीं होगा। न्याय होने के लिए न्याय की यह मंशा रहती है कि न्याय की प्राप्ति के साथ साथ सभी पक्षकारों को यह प्रदर्शित होना चाहिये कि उन्हें न्याय प्राप्त होगा । यदि पक्षकारों को न्याय नहीं प्राप्त होने का अंदेशा हो तो प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तानान्तरण किया जाना विधि अनुरूप व न्याय संगत है। अप्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में लेने के कारण एवं उसकी एलानियां घोषणा होने के कारण एवं पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेने के आभास हो जाने के कारण यदि दावे को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया गया तो उपखण्ड अधिकारी पावटा प्रार्थी के खिलाफ वाद निस्तारित कर देंगे। इसलिए प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है और अपनी खातेदारी भूमि का तकास्मा कराना चाहता है। तकास्मा के आदेश में विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी पावटा ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष पक्षकारान के मध्य खातेदारी भूमि के विभाजन का दावा विचाराधीन है। प्रार्थी अधिवक्ता ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी विचाराधीन होना बताया है, किन्तु कोई स्थगन आदेश पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में बहस हो जाने एवं पत्रावली आदेश में नियत होने के पश्चात प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिससे प्रार्थी के कथन को बल नहीं मिलता है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर